न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान युसुफ खान आदि बनाम राजस्थान सरकार
वाद–पत्र संख्या – 101 / 2025
निर्णय दिनांक 13/08/2025

युसुफ खान पुत्र उमर खान जाति कायमखानी निवासी राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू।
वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।
प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट, 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

—::निर्णय::—

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा राजपुरा पटवार हल्का राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू के खाता संख्या 295 के खसरा सं. 83 तादादी 2.9463 हैक्ट, ख.नं. 93 तादादी 11.0644 हैक्ट. में राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार दर्ज है। उपरोक्त खसराजात की जमाबंदी में इंतकाल के समय भूलवश वर्तमान राजस्व जमाबंदी में वादी का नाम युसुफअलीखां पुत्र उमरखां दर्ज हो गया, जो गलत दर्ज हुआ है। अब वादी द्वारा राजस्व रिकार्ड में से जमाबंदी निकलवाई तब वादी को पता चला कि उक्त रिकार्ड में उसका नाम गलत दर्ज हे जबकि वादी का सही नाम युसुफ खान पुत्र उमर खान है। वादी का जमाबंदी में नाम गलत दर्ज होने के कारण राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ वादी प्राप्त नही कर पा रहा है। जिससे वादी को काफी नुकसान हो रहा है। वादी के सभी दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि में वादी का सही नाम युसुफ खान पुत्र उमर खान अंकित है जो वादी का सही नाम है। इसलिये वादी अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहता है इसलिये यह घोषणात्मक व दुरूस्ती का वाद पेश कर रहा है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने वादी का नाम युसुफअलीखां पुत्र उमरखां व युसुफ खान पुत्र उमर खान दोनो एक ही व्यक्ति के नाम होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ। वादी द्वारा साक्ष्य करवाने हेतु समय चाहा गया है।

वाद पत्र के समर्थन में वकील वादी ने दिनांक 13.08.2025 को वादी युसुफ खान पुत्र उमर खान जाति कायमखानी निवासी राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू का शपथ पत्र मय दस्तावेज इस आशय का पेश किया गया कि वादी का नाम युसुफ खान पुत्र उमर खान सही नाम है। साक्ष्य प्रतिवादी नहीं कराये गये।

बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील वादी के कथनों का गौर किया गया तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों एवं साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड में वादी का नाम युसुफ खान पुत्र उमर खान पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम युसुफअलीखां पुत्र उमरखां अंकित है। नाम में भिन्नता से वादी को

Rajender

परेशानी होना सम्भव है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही राजपुरा पटवार हल्का राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू के खाता संख्या 295 के खसरा सं. 83 तादादी 2.9463 हैक्ट, ख.नं. 93 तादादी 11.0644 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी के पिता का नाम युसुफअलीखां पुत्र उमरखां **Delete** कर इसके स्थान पर युसुफ खान पुत्र उमर खान अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/08/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)